मंत्रि–परिषद् समिति की प्रथम बैठक दिनांक 8 नवम्बर, 2010 का कार्यवाही विवरण

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका को प्रभावी बनाने के उद्येश्य से गठित मंत्रि–परिषद् समिति की प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 8 नवम्बर, 2010 को **माननीय श्री राघवजी,** मंत्री, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में **माननीय श्री गोपाल भार्गव,** मंत्री, सामाजिक न्याय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन भी उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित रहे अधिकारियों की सूची परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है।

2/– प्रथमतः, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य शासन द्वारा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में महती भूमिका निर्वहन करने के उद्येश्य से ही यह उच्च स्तरीय समिति गठित की है जिससे मध्यप्रदेश देश में वित्तीय समावेशन करने हेतु अग्रणी राज्य की श्रेणी में आ सके। यह भी अवगत कराया गया कि यह समिति अपनी अनुशंसाएं राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा राज्य शासन द्वारा समिति की अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक निर्णय लिये जा सकेगें। प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि मध्यप्रदेश में आई0टी0 आधारित वित्तीय समावेशन हेतु पायलट परियोजना को वर्ष 2008 में प्रारम्भ किया गया था। इसे अब प्रदेश में चिन्हित 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले 2,615 ग्राम तथा 2,000 से कम जनसंख्या वाले अनुसूचित ग्रामों में भी विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा बायोमेट्रिक ए0टी0एम0 की स्थापना पर भी अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ऐसे ए0टी0एम0 की स्थापना हेतु ग्रामीण स्तर पर शासकीय अथवा पंचायत के भवनों में आवश्यक स्थान भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

3/– संचालक, संस्थागत वित्त द्वारा प्रदेश में वित्तीय समावेशन की स्थिति पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण किया गया। संचालक द्वारा यह उल्लेख किया गया कि वित्तीय समावेशन में कुल 32 बैंकों द्वारा सहभागिता की जा रही है। परन्तु इस बैठक में मात्र 7

बैंक, जिनके पास अग्रणी बैंक की भूमिका का दायित्व है, को ही आमंत्रित किया गया है। सभी बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने कार्यक्षेत्र के अग्रणी जिलों में इस समिति के निर्णयों को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति के माध्यम से जिले में कार्यरत सभी बैंकों को भी अवगत करा दिया जाय। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि सभी बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय समावेशन का कार्य समयबद्ध तरीके से करने पर ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

4/– माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गई। माननीय मंत्रीजी द्वारा अपेक्षा व्यक्त की कि 2,615 ग्रामों में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य मार्च 2011 तक के लिये निर्धारित किया गया है तथा अब मात्र 5 माह ही शेष हैं। ऐसी स्थिति में बैंकों द्वारा अपने स्तर पर भी निर्धारित लक्ष्य की सतत् समीक्षा की जाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि निर्धारित अवधि के पूर्व ही उक्त कार्य कैसे पूर्ण किया जाय। राज्य शासन इस कार्य हेतु पूर्ण सहयोग देने हेतु सदैव तत्पर है। माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा बैंकों से यह अपेक्षा भी की गई कि बिजनेस करेस्पांडेंट मॉडल (Business Correspondent Model) के साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार करना चाहिये जिससे कि उपलब्ध कराई जा रही सुविधा का दीर्धकालिक प्रभाव हो।

5/– माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रीजी द्वारा सभी बैंकों को आश्वस्त किया कि विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के पास स्वयं के भवन हों तथा ऐसे भवन में बैंक के लिये एक कमरा उपलब्ध रहेगा, जिससे कि ग्राम पंचायत के साथ संबद्ध बैंक को आवश्यक स्थान उपलब्ध हो सके। साथ ही यह भी अवगत कराया कि प्रदेश में एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्राम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत जोड़े जा चुके हैं एवं आवागमन हेतु सुविधा उपलब्ध है।

6/– बैंकों द्वारा समिति के समक्ष यह मुद्दा रखा कि सामान्यतः बैंक द्वारा 3,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम में बैंक शाखा खोलने पर विचार किया जाता है। ऐसे ग्रामों की संख्या काफी कम होगी। यदि राज्य शासन ऐसे ग्रामों को चिन्हित कर बैंक शाखा खोलने हेतु आवश्यक भू–खण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराता है तो बैंक अपना भवन तथा शाखा प्रबंधक एवं अन्य स्टाफ हेतु रिहायशी भवन निर्मित कर बैंक शाखा खोल सकता है।

यह व्यवस्था दीर्घकालीक रूप में ज्यादा कारगर साबित होगी। समिति द्वारा प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए ऐसे प्रस्ताव पर राज्य शासन का निर्णय प्राप्त करने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।

6/– प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा बैंकों से अपेक्षा की कि बैंकों द्वारा बायोमेट्रिक ए0टी0एम0/सामान्य ए0टी0एम0 लगाने पर अधिकाधिक विचार करना चाहिये क्योंकि इसके दीर्घकालीक लाभ होगें। ऐसे ए0टी0एम0 लगाने हेतु पंचायत भवन, स्कूल भवन, पी0डी0एस0 शाप्स् आदि का उपयोग किया जा सकता है। इसका सीधा लाभ यह होगा कि बैंक की रिकरिंग लागत में काफी कमी आ सकेगी।

7/– सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की ई–गवर्नेंस योजना अंतर्गत प्रदेश में लगभग 9,000 कियोस्क स्थापित करने का कार्य चल रहा है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इन कियोस्क के माध्यम से भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बैंक द्वारा विभाग के साथ एम0ओ0यू0 के आधार पर विभाग द्वारा नियुक्त कंपनियों के माध्यम से इनका उपयोग किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी ऐसी कंपनियों को बी0सी0 नियुक्त करने हेतु अपने नियमों में संशोधन किया जा चुका है। इसके तहत् बैंक को अलग से बी.सी. नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बैंक सीधे कंपनी से अनुबंध कर कियोस्क का उपयोग कर सकते हैं।

8/– भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि कियोस्क माडल के तहत बैंक द्वारा नगद आहरण–भुगतान की सुविधा के साथ कियोस्क ऑपरेटर को अपना एजेंट भी नियुक्त किया है जो कि बैंक के ऋण/बीमा उत्पादों के विक्रय भी करते हैं जिसमें बैंक द्वारा उन्हें कमीशन दिया जाता है। कतिपय आपरेटर काफी मात्रा में आय अर्जित कर रहे हैं। संचालक, संस्थागत वित्त द्वारा अपेक्षा की गई कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देवास की सक्सेस स्टोरी पर एक पेपर तैयार किया जाय जिससे की प्रचार–प्रसार किया जा सके और अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके।

9/– महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों से अपेक्षा की गई कि बैंक द्वारा तैयार किये गये माईक्रो प्लान की बैंक स्वयं के स्तर पर मासिक समीक्षा करे तथा यह

भी सुनिश्चित करे कि निर्धारित समयावधि में लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय। साथ ही उनके द्वारा अन्य बैंकों से यह अपेक्षा भी की कि जिन बैंकों द्वारा अभी तक अपने माईक्रो प्लान एस0एल0बी0सी0/संस्थागत वित्त को प्रस्तुत नहीं किये हैं, वे अविलम्ब अपने प्लान प्रस्तुत कर दें। बैठक में यह भी अपेक्षा की गई कि समस्त सहभागी बैंक मासिक प्रगति रिपोट्र भी एस0एल0बी0सी0/संस्थागत वित्त को अनिवार्यतः भेजें ताकि प्रगति की समीक्षा समय पर की जा सके।

10/— मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा दो निधियां नाबार्ड के पास निर्मित की गई हैं, प्रथम फायनेंशियल इन्क्लूजन फण्ड तथा द्वितीय फायनेंशियल इन्क्लूजन टेक्नालॉजी फण्ड। इन निधियों से अभी तक मात्र एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ही योजना स्वीकृत कराई गई है तथा चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रस्ताव नाबार्ड के पास विचाराधीन हैं। इस निधि का सिर्फ बैंक ही नहीं अपितु अन्य एजेंसियां भी लाभ उठा सकते हैं। अतः, प्रदेश को इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेना चाहिये।

11/— भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि कियोस्क बैंकिंग में बैंक को पूंजीगत लागत का निवेश करना होता है। अतः, बी0सी0 माडल के तहत् हेण्ड–हेल्ड डिवाईस हेतु उपलब्ध सहायता को कियोस्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा में भी पूंजीगत लागत हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायता देने पर विचार किया जाना चाहिये। चर्चा उपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बैंक द्वारा आई0टी0 विभाग के कियोस्क के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने पर लगने वाले अतिरिक्त उपकरणों हेतु हेतु बैंक द्वारा पूंजीगत लागत के रूप में विनियोजित की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 10,000/— प्रति कियोस्क के मान से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाय।

12/— माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा सभी बैंकों से अपेक्षा की गई कि वित्तीय समावेशन के इस महत्वपूर्ण कार्य को बैंकों द्वारा मार्च 2011 तक पूर्ण करने के भरपूर प्रयास करना चाहिये जिससे कि देश में मध्यप्रदेश अग्रणी प्रदेश में आ सके। राज्य शासन द्वारा

बैंकों को अपना पूर्ण सहयोग दिया जायेगा। जिला स्तर पर किसी भी प्रकार के समन्वय हेतु संचालक, संस्थागत वित्त सदैव सहयोग के लिये उपलब्ध हैं।

13/—अंत में संचालक, संस्थागत वित्त द्वारा बैंठक में भाग लेने हेतु उपस्थित सभी सहभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

(प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित)

XXXXXX